जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः 67 - 903 दिनांक 10/06/2022

विज्ञप्ति

पोरवाल समाज को सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु मानसरोवर के समीप, जयपुर में 1000–2000 वर्गगज भूमि आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

(1)

नागरिक सेवा केन्द्र

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

file movement slip

किससे	किसको	दिनांक	लघुहस्ताक्षर	
			dispatcher	receiver
				DA(R)
				13/5/22
			TAR	
AA(JMG)R-1033 14/5/22			12/5/22	

जयपुर विकास प्राधिकरण
Jaipur Development Authority
नागरिक सेवा केन्द्र
Citizen Care Center

पंजीयन क्रमांक
Registration No.
405831

प्राप्ति **(Receipt)**

Linked CCC Reg. Nos.:			
किसके लिए अनुरोध किया है। :- Requested For	Institutional Land Allotment (CCC-14)		
प्राप्ति दिनांक Receipt Date	11/05/2022	नियत दिनांक Due Date	22/09/2022

आवेदक का ब्यौरा **(Applicant's Details)**

आवेदक का नाम Applicant Name	SH. PORWAL SAMAJ JAIPUR
पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name	SH. DIRECTOR SURESH CHAND GUPTA
पता Address	193, GAYATRI NAGAR B MAHARANI FARM, JAIPUR PIN:

चाही गई सेवा से सम्बन्धित भूखण्ड का विवरण **(Concerned Plot Details)**

विकासकर्ता का प्रकार Developer Type		विकासकर्ता का नाम Developer Name			
योजना का नाम Scheme Name					
योजना की लोकेशन Scheme Location		भूखण्ड का प्रकार Type Of Plot			
भूखण्ड संख्या Plot No.		भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)/(वर्ग मीटर में) Plot Area (Sq.Yds.) /(Sq. Mtr.)			
चालान सं. Challan No		राशि (रूपयों में) Fee In Rs.		दिनांक Date	

सलंग्न दस्तावेज **(Document(s) enclosed)**

अतिरिक्त सलंग्न दस्तावेज की सूची (List of additional document(s))					
ORG. DD RS. 5000 & PHOTO COPY	दस्तावेजों की संख्या Total Documents		पृष्ठों की संख्या No.of Pages	77	
सम्बन्धित [illegible] ... AC (LPC)	प्रभारी अधिकारी	AC (LPC)			

पंजी[illegible]
R[illegible]

राज्य सरकार के आदेश क्र. प.17(18) नाबिवि/नियम/2021 दि० 1.12.2021 की पालना में निशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र- अ 9

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1.	संस्था/ संगठन का नाम	पोरवाल समाज, जयपुर
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, अध्यक्ष
3.	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	120/47, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर-20
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	1000-2000 वर्ग गज (मानसरोवर के पास) जविप्रा जोन 8 तथा जोन 9
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	900-1800 वर्ग मीटर
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	- संलग्न -
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	- नहीं -
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
(i)	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
(ii)	बाईलॉज/ रेग्युलेशन्स	संलग्न
(iii)	गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	संलग्न
(iv)	संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
(v)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न ~~[illegible]~~
(vi)	रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न पे आर्डर सं. 302864 दि. 4.5.2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय **(Urban Body)** आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 08/05/2022

स्थान : जयपुर

[signature]

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(सुरेश चन्द गुप्ता)
नाम व पद अध्यक्ष
पोरवाल समाज, जयपुर

प्रपत्र-2 2/2

स्व- घोषणा पत्र

मैं/ हम सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री स्व० बद्री प्रसाद गुप्ता उम्र 61 वर्ष, निवासी 120/47, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूंठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक : 08/05/2022

स्थान : जयपुर

(सुरेश चन्द गुप्ता)
अध्यक्ष
आवेदक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष
गोरवाल समाज, जयपुर

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

1 DEC 2021

क्रमांकः प.17(18)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक :

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2021 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा जारी की गई भूमि आवंटन नीति–2015 में संशोधन कर नया बिन्दु सं. 5.10 निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIP) 2021 के प्रावधानों के मध्यनजर योजना के तहत पात्र अलाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में नगरपालिका क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर तक, नगरपरिषद क्षेत्रों में 1500 वर्गमीटर तक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित की जाती हैं।

उक्त आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 143/2021 दिनांक 24.11.2021 की अनुपालना में जारी किए गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. आयुक्त, उद्योग विभाग जयपुर।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

पोरवाल समाज जयपुर

(सामाजिक सांस्कृतिक संस्था)

193, गायत्री नगर बी, महारानी फार्म जयपुर

सुरेश चन्द गुप्ता (नागदा) अध्यक्ष मो.9829600314	विजय कुमार जैन मंत्री मो.9413477045

क्रमांक : पोसज/2021

दिनांक 08/05/21

बेनी प्रसाद गुप्ता
उपाध्यक्ष

वेद प्रकाश गुप्ता
उपाध्यक्ष

ललित कुमार गुप्ता
सह–मंत्री

महावीर प्रसाद गुप्ता
(रतोदन) कोषाध्यक्ष

सदस्य–गणः

अशोक कुमार गुप्ता
(एस.एफ.एस.)

महावीर प्रसाद गुप्ता,
सुल्तान नगर

सत्यनारायण गुप्ता,

गोपाल लाल गुप्ता

विजय शरण गुप्ता

रोहित गुप्ता

विनीत गुप्ता

महेश कंजोलिया

ओम प्रकाश गुप्ता
(दीगोद) पदेन सदस्य

श्रीमती गिरिजा गुप्ता

श्रीमती शीला गुप्ता

प्रस्तावना

पोरवाल समाज जयपुर, जयपुर निवासी पोरवाल वैश्य जाति के लगभग 600 परिवारों का समूह है । पोरवाल जाति के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें से प्रमुख प्राग्वाट–इतिहास श्री दौलत सिंह लोढा, पोरवाल समाज का श्री मनोहरलाल पोरवाल एवं प्राग्वाट– श्री शिवनारायण यशलाहा है । पुस्तकों में दिये गये तथ्यों के अनुसार पोरवाल जाति या समाज का अस्तित्व भारत में प्राचीन युग अर्थात् बौद्धकाल से है । प्रोग्वाट या पोरवाल संज्ञा प्राप्त करने से पूर्व इस जाति में सम्मिलित होने वाले परिवारों की गणना शुद्व ब्रहमण और क्षत्रिय परिवारों में होती थी । मूल्यतः क्षत्रिय होने के कारण आदिकाल से ही यह जाति बडी शूरवीर, रणकौशल, धीर एवं साहसी रही है । इस जाति में राष्ट्रसेवा के लिये अपने प्राण अर्पण किये है तथा वाणिज्य, व्यापार, कला, कौशल आदि को उन्नत करने और देश की आर्थिक उन्नति में भी अवर्णनीय सहयोग प्रदान किया है । पोरवाल जाति के वस्तुपाल, तेजपाल, राजा टोडरमल आदि कुछ ऐसे नाम है जिनके योगदान के लिये भारत के इतिहास में उल्लेख मिलता है । वस्तुपाल–तेजपाल दो भाई, जिन्हें राजस्थान के माउण्टआबू में देलवाडा मंदिरों के निर्माण के लिये भी जाना जाता है । समाज के कई व्यक्तियों ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में योग्यता हासिल की है एवं देश के स्वतन्त्रता संग्राम में येागदान दिया है, जिनका विवरण प्राग्वत दर्पण में दिया गया है ।

वर्तमान काल में पोरवाल जाति के लोग अधिकतर दिल्ली, राजस्थान में कोटा, बांरा, सवाई माधोपुर, जयपुर एवं सिरोही, मध्यप्रदेश में इन्दौर, श्योपुर, एवं भोपाल, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बीड, नांदेड एवं उत्तरप्रदेश में ओरैया, फिरोजाबाद आदि स्थानों पर संगठित है । वहां स्थानीय स्तर पर पोरवाल समाज कार्यरत है,

मंत्री
पोरवाल समाज जयपुर

अध्यक्ष
पोरवाल समाज, जयपुर

5

पोरवाल समाज जयपुर

(सामाजिक सांस्कृतिक संस्था)

193, गायत्री नगर बी, महारानी फार्म जयपुर

सुरेश चन्द गुप्ता (नागदा) अध्यक्ष मो.9829600314 क्रमांक : पोसज / 2021	विजय कुमार जैन मंत्री मो.9413477045 दिनांक

बेनी प्रसाद गुप्ता
उपाध्यक्ष

वेद प्रकाश गुप्ता
उपाध्यक्ष

ललित कुमार गुप्ता
सह–मंत्री

महावीर प्रसाद गुप्ता
(रतोदन) कोषाध्यक्ष

सदस्य–गण:

अशोक कुमार गुप्ता
(एस.एफ.एस.)

महावीर प्रसाद गुप्ता,
सुल्तान नगर

सत्यनारायण गुप्ता,

गोपाल लाल गुप्ता

विजय शरण गुप्ता

रोहित गुप्ता

विनीत गुप्ता

महेश कंजोलिया

ओम प्रकाश गुप्ता
(दीगोद) पदेन सदस्य

श्रीमती गिरिजा गुप्ता

श्रीमती शीला गुप्ता

जो समाज की उन्नति के लिये कार्य करते रहते हैं । विभिन्न स्थानों पर पोरवाल समाज द्वारा किये गये कार्यों में कुछ कार्य बाढ़ पिडितों की सहायता, झुग्गी झोंपडी में बस्तीयों में रहने वाले लागों की सहायता, सम्मान समारोह, फैंशन शो, वृक्षारोपण अभियान, सार्वजनिक स्थलों पर पीने के पानी की व्यवस्था, त्यौहार एवं उत्सवों पर कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, कार्यशालायें आदि आयोजित किये जाते है । कुछ स्थानों पर जैसे कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, इन्दौर, श्योपुर आदि स्थानों पर पोरवाल समाज के भवन भी हैं, जहां से उक्त गतिविधियांसुगम रूप से संचालित की जाती है । कोरोनाकाल में समाज द्वारा कई गतिविधियों को वर्चुअल आयोजन किया गया । इस काल में समाज के भवनों को भी स्थानीय प्रशासन के उपयोग के लिये उपलब्ध कराया गया । समाज के भवनों को समाज के सदस्यों एवं अन्य शहरवासियों के आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिये बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध कराया जाता है । भवन में कमरों की भी व्यवस्था है जिसमें दूसरे गांवों एवं शहरों से आने वाले लोगों के निवास के लिये रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है ।

शहर, प्रदेश एवं देश की उन्नति के लिए सामाजिक गतिविधियों को बढावा देना अति आवश्यक है, जिसके लिये भवन होना अति आवश्यक है ।

जयपुर पोरवाल समाज भी अपना स्वयं का भवन बनाने का इच्छुक है, जिसके लिये अभी भूमि उपलब्ध नहीं है ।

(विजय कुमार जैन) मंत्री मंत्री पोरवाल समाज, जयपुर	(सुरेश चंद गुप्ता) अध्यक्ष अध्यक्ष पोरवाल समाज जयपुर

6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AT 685957

NOTARY GOVT. OF INDIA Reg. No. 11879

1 1 JUL 2022

शपथ– पत्र

मैं सुरेश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री बद्रीलालजी गुप्ता निवासी 120/47, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर वर्तमान अध्यक्ष, पोरवाल समाज, जयपुर शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि:–

1– पोरवाल समाज, जयपुर को आज दिनांक तक जयपुर विकास प्राधिकरण/ नगर निगम/हाउसिंग बोर्ड अथवा अन्य किसी भी सरकारी संस्था द्वारा निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूखण्ड अथवा भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

2– जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यदि पोरवाल समाज जयपुर को निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाता है तो समाज के सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि द्वारा भूमि पर समाज के कब्जे की दिनांक से छः माह से दो वर्ष की अवधि के मध्य निर्माण करा दिया जावेगा ।

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA
11 MAY 2022

10/05/2022

हस्ताक्षर शपथ गृहिता
नाम – सुरेश चन्द गुप्ता
तारीख –

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 337/जय 1994-95

यह प्रमाणित किया जाता है कि पोरवाल समाज जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक पच्चीस माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ चौरानवे को जयपुर में दिया गया।

(भारत भूषण)

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
जयपुर

रा० रा० स० मु० लि०, जयपुर-1

पोरवाल समाज, जयपुर

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम पोरवाल समाज, जयपुर है व रहेगा ।

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सी-78 ए, बापूनगर, जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर नगर क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिये कार्य करना ।
2. समाज में सौहार्द एवं आत्मीयता के विकास के प्रयास करना ।
3. समाज के लिये सांस्कृतिक-सामाजिक-शैक्षणिक समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना ।
4. समाज भवन, छात्रावास [illegible] हेतु [illegible] अलग-अलग [illegible] संचित करना ।
5. समाज के सदस्यों, परिवारों के हितार्थ [illegible] की योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना ।
6. समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अन्य ऐसे सभी उपयुक्त कार्य एवं गतिविधियां हाथ में लेना जो अनेकता में एकता की प्रतीक हमारी राष्ट्रीय धारा के अनुकूल रहते हुए समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम हों ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों ।
2. बालिग हों ।
3. पागल, दीवालिये न हों ।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों ।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों ।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:-

1. संरक्षक
2. आजीवन
3. साधारण

6. सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क व चन्दा : जो नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1. संरक्षक राशि 1001/-आजन्म
2. आजीवन राशि 501/-आजन्म
3. साधारण राशि 51/-वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा दो छः माही किश्तों में जमा कराई जा सकेगी ।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार से निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्तर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु पेश समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।

8. साधारण सभा :- संस्था के उप नियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।
3. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)

जयपुर

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

साधारण सभा की [illegible]

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 अथवा [illegible] 20 सदस्यों का होगा ।

3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः कम से कम एक घण्टे पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ।

5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में

12

11. कार्यकारिणी का गठन

होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे ।

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1.	अध्यक्ष –	एक
2.	उपाध्यक्ष –	दो
3.	मंत्री –	एक
4.	संयुक्त मंत्री –	एक
5.	कोषाध्यक्ष –	एक
6.	सदस्य –	पन्द्रह

निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं मंत्री नई कार्यकारिणी के सदस्य होंगे ।

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 6 पदाधिकारी व 15 सदस्य कुल 21 सदस्य होंगे ।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा ।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/[illegible] प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी ।
4. वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य पंजीयन तिथि से दो वर्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं

सत्यमेव जयते

15

की अवधि के लिए रहेंगे ।

13\. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्न लिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1\. सदस्य बनाना / निष्कासित करना ।

2\. वार्षिक बजट तैयार एवं पारित करना तथा आय व्यय का लेखा जोखा साधारण सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना ।

3\. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

4\. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना ।

5\. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6\. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।

7\. अन्य कार्य जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हों, हितार्थ हो, करना ।

14\. कार्यकारिणी की बैठकें

1\. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2\. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक होगा ।

3\. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी

11

जा सकेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः उसी दिन निर्धारित स्थान व समय पर की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष :

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

15

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी ।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा ।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि व्यय के लिये एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1. अध्यक्ष 1,000/- रुपये तक
2. मंत्री 500/- रुपये तक

इससे अधिक व्यय के लिये कार्यकारिणी की स्वीकृति आवश्यक होगी ।
उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी द्वारा किया जायेगा ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

18.	संस्था का अंकेक्षण	:	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जायेगा ।
19.	संस्था का विधान में परिवर्तन	:	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा :
20.	संस्था का विघटन	:	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।
21.	संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण		रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा किये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी ।

जयपुर

2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

3. **मंत्री :**

1. बैठकें आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।
6. पत्र-व्यवहार करना ।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

4. **संयुक्त मंत्री :**

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संपादन करना ।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जायें ।

5. **कोषाध्यक्ष :**

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।
2. वित्तीय मदों पर नियंत्रण रखना ।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

70

<u>सहमति पत्र</u>

मै महावीर प्रसाद गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (महावीर प्रसाद गुप्ता)
मो.नं. 9928368821

<u>सहमति पत्र</u>

मै विजय कुमार जैन पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (विजय कुमार जैन)
मो.नं. 9413477045

<u>सहमति पत्र</u>

मै सुरेश चंद गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

[signature]
हस्ताक्षर
नाम– (सुरेश चंद गुप्ता)
मो.नं. 9829600314

<u>सहमति पत्र</u>

मै वेदप्रकाश गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (वेदप्रकाश गुप्ता)
मो.नं. 9352627005

सहमति पत्र

मै गिरिज मोहन गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (गिरिज मोहन गुप्ता)
मो.नं. 9414059511

सहमति पत्र

मै हिम्मत लाल जैन पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर हिम्मतजैन
नाम– (हिम्मत लाल जैन
मो.नं. 9314501643

सहमति पत्र

मै कृष्ण चन्द्र गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (कृष्ण चन्द्र गुप्ता)
मो.नं. 9829163600

सहमति पत्र

मै ओम प्रकाश गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (ओम प्रकाश गुप्ता)
मो.नं. 9462193774

72

सहमति पत्र

मै कल्याण चंद गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (कल्याण चंद गुप्ता)
मो.नं. 94134-53790

सहमति पत्र

मै ललित कुमार जैन पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature] 1-9-2021
नाम– (ललित कुमार जैन
मो.नं. 9828353070

सहमति पत्र

मै रमेश प्रकाश गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (रमेशप्रकाशगुप्ता)
मो.नं. 9414491350

सहमति पत्र

मै हेमचन्द गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (हेमचन्द गुप्ता)
मो.नं. 9414782874

सहमति पत्र

मै महेश कंजोलिया पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (महेश कंजोलिया)
मो.नं. 9672995581

सहमति पत्र

मै महावीर प्रसाद गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/~~नगर निगम~~ से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (महावीर प्रसाद गुप्ता)
मो.नं. 9414580987

सहमति पत्र

मै ओमप्रकाश गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature] 1-5-22
नाम– (ओमप्रकाश गुप्ता)
मो.नं. 9783218891

सहमति पत्र

मै सत्यनारायण गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर Satyanarain Gupta
नाम– (सत्यनारायण गुप्ता)
मो.नं. 9351426340

सहमति पत्र

मै घनश्याम लाल गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (
मो.नं. 9829243432

सहमति पत्र

मै प्रेमचन्द गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (प्रेम चन्द गुप्ता
मो.नं. 54 सूर्यनगर जयपुर
7597294825

सहमति पत्र

मै अरविन्द कुमार गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

[signature]
हस्ताक्षर
नाम– (अरविन्द कुमार गुप्ता)
मो.नं. 94140 49403.

सहमति पत्र

मै विमल कुमार गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

[signature]
हस्ताक्षर
नाम– (विमल कुमार गुप्ता)
मो.नं. 9414349495

सहमति पत्र

मै सुशील गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (सुशील गुप्ता)
मो.नं. 94140 97574

सहमति पत्र

मै राजेन्द्र कुमार गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (राजेन्द्र कुमार गुप्ता)
मो.नं. 98296 00346

सहमति पत्र

मै मांगी लाल गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

मांगीलाल गुप्ता
हस्ताक्षर
नाम– (मांगीलाल गुप्ता)
मो.नं. 8079085679

सहमति पत्र

मै हरिप्रकाश गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (हरिप्रकाश गुप्ता
मो.नं. 9460553522

सहमति पत्र

मै सुनील कुमार गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (सुनील कुमार गुप्ता)
मो.नं. 7976817956

सहमति पत्र

मै रमेश चन्द गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (रमेश चन्द गुप्ता)
मो.नं. 9314503867

सहमति पत्र

मै बंकट लाल गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (बंकट लाल गुप्ता)
मो.नं. 8003335213

सहमति पत्र

मै महेश कुमार गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर [signature]
नाम– (महेश कुमार गुप्ता)
मो.नं. 9660661151

77

<u>सहमति पत्र</u>

मै जगदीश प्रसाद गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (Jagdish Pd. Gupta)
मो.नं. 9214466955.

<u>सहमति पत्र</u>

मै महावीर प्रसाद गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम– (महावीर प्रसाद गुप्ता)
मो.नं. 9413964761

<u>सहमति पत्र</u>

मै नवल किशोर गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर N. K. gupta
नाम– (नवल किशोर गुप्ता)
मो.नं. 9214527292

<u>सहमति पत्र</u>

मै हितेश कुमार गुप्ता पोरवाल समाज जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से निशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु सहयोग राशि प्रदान करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर Hitesh
नाम– (हितेश कुमार गुप्ता)
मो.नं. 9799390543

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(प्रकोष्ठ में जमा कराने वाली प्रति)

प्रकोष्ठ : Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या 778895

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता सख्या **ICICI-675401700500**

दिनांक **18/05/2022 Valid upto 17/06/2022**

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH.PORWAL SAMAJ JAIPUR

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंकों में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

(valid upto 17/06/2022)

Name of Bank THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

Payment Mode-DD No. 302864 Date 04/05/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 778895

Contact No. 9413477045

हस्ताक्षर जमाकर्ता

18/5

ICICI BANK LTD.
J.D.A. CAMPUS, JAIPUR
18 MAY 2022
SUBJECT TO REALISATION
CLEARING

770

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(जमाकर्ता की प्रति)

प्रकोष्ठ : Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या 778895

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता सख्या **ICICI-675401700500**

दिनांक **18/05/2022 Valid upto 17/06/2022**

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH.PORWAL SAMAJ JAIPUR

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंकों में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

(valid upto 17/06/2022)

Name of Bank THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

Payment Mode-DD No. 302864 Date 04/05/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 778895

Contact No. 9413477045

हस्ताक्षर जमाकर्ता

18/5

ICICI BANK LTD.
J.D.A. CAMPUS, JAIPUR
18 MAY 2022
SUBJECT TO REALISATION
CLEARING